

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

राम कन्याबाई

बनाम

लालु राम

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

417/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रामकन्या बाई</u> <u>पुत्री</u> कन्या <u>कन्याबाई</u> निवासी- <u>लोनागर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>विपालियाखुर्द (पन्ह. लोनागर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>346/42</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.7300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>विपालियाखुर्द (पन्ह. लोनागर तह. पुत्री)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>346/42</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.7300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700 = 70</u> रुपये अक्षरे <u>खात को रकबा</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवस्य) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>